12/3/2022	पत्रावली पेश। अधि० वादी व वादी स्वयं उपस्थित। सरकार की ओर से हलका पटवारी व तहसीलदार ने वाद स्वीकार किया। सरकार जवाब के आधार पर वाद स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। निर्णय को इजलास पढ़कर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	निर्मला अ.नि. सत्यनारायण निर्मला उर्फ बाली पुत्री देवलाल का नाम निर्मला पुत्री देवलाल किया जाना स्वीकार है पुष्पदयाल तहसीलदार पटवारी सांगोद TDR सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 7/2022 तारीख दायरा 20.01.2022

उनवान

निर्मला बाई पुत्री देवलाल पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी रेलावद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – अप्रार्थी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

खाता सख्या	नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
	102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105/449	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

प्रार्थना पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम खाता संख्या 101 मे बरफी बाई ही दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 29, 30, 102 में बरफीबाई उर्फ निर्मला बाई दर्ज है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, जन आधार, राशनकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में निर्मला बाई पुत्री देवलाल पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी रेलावद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज है। प्रार्थी का गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्डेड नाम है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

प्रार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड जन आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम भिन्न होने से सरकार की योजनाओं का लाभ लेते समय खाते में सही करवाने की कहने से खाते में नाम सही करवाना आवश्यक होने पर प्रार्थी पटवारी हलका के पास नाम सही करवाने के लिए गई तो पटवारी हलका द्वारा अदालत से आदेश लाने पर नाम सही करने की कहने से माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थी पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर नाम दुरूस्त कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :—

माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :—

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105/449	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उक्त आराजी में दर्ज प्रार्थी के नाम बरफी बाई उर्फ निर्मला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री देवलाल जाति धाकड निवासी रेलावद तह सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, अप्रार्थी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व प्रार्थी की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब अप्रार्थी से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी ने उनके प्रार्थना पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या	नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
	102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramavtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी में दर्ज प्रार्थी के नाम बरफी बाई उर्फ निर्मला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री देवलाल जाति धाकड निवासी रेलावद तह सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested